



Neutral Citation No. - 2026:AHC:66002

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 5177 वर्ष 2026

शिवम वर्मा और 2 अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता:

राम राज पांडे, शुभम पांडे

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री राम राज पांडे और राज्य के विद्वान अधिवक्ता की तर्क सुने और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 2023 (बी.एन.एस.एस.) की धारा 528 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन, इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि इस आवेदन को स्वीकार किया जाए तथा विद्वान सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)/फास्ट ट्रैक न्यायालय, बागपत द्वारा पारित दिनांक 28.07.2025 के संज्ञान/समन आदेश को निरस्त किया जाए, साथ ही वाद संख्या 418 सन् 2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शिवम वर्मा एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 08 सन् 2025, धारा 85, 115(2), 351(2) बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम, थाना महिला थाना, जनपद बागपत से उद्भूत है, की कार्यवाही तथा आरोप-पत्र संख्या 66 सन् 2025 दिनांक 27.05.2025 को भी निरस्त किया जाए।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पक्षों ने 04.03.2025 के समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों का निपटारा कर लिया है, जिसे आवेदन के साथ "अनुलग्नक संख्या-4" के रूप में संलग्न किया गया है। अतः, संबंधित न्यायालय के



समक्ष कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है और यह न केवल न्यायालय के समय की सरासर बर्बादी है, बल्कि विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने हालांकि यह निवेदन किया है कि यह विचारण न्यायालय का काम है कि वह इस तथ्य की पुष्टि करे कि क्या पक्षों ने समझौता किया है, इसलिए आवेदक संबंधित न्यायालय में जाकर पक्षों के बीच समझौते के संबंध में आवेदन कर सकते हैं, जिस पर विधि के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

5. उपरोक्त के मद्देनजर, प्रकरण की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदकों और विपक्षी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से तीन सप्ताह के भीतर समझौता पत्र और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

यह उम्मीद की जाती है कि संबंधित न्यायालय समझौते के सत्यापन के लिए एक तिथि निर्धारित करे और पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस संबंध में उचित आदेश पारित करे, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो।

समझौते के सत्यापन का आदेश पारित करते समय, संबंधित न्यायालय पक्षों के इस संबंध में भी बयान दर्ज करेगा कि क्या मूल समझौता पत्र में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें पूरी की गई हैं या नहीं।

6. उस स्थिति में न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति और समझौता प्राप्त करने की अनुमति देगा तथा आवेदकों के लिए कार्यवाही रद्द करने हेतु इस न्यायालय में पुनः अपील करने का विकल्प खुला रहेगा।

7. संबंधित न्यायालय द्वारा पक्षों के बीच हुए समझौते के सत्यापन तक, उपर्युक्त प्रकरण में आवेदकों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

8. उपरोक्त निर्देशों के साथ, इस आवेदन का **निस्तारण** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)



30 मार्च, 2026

आदित्य त्रिपाठी

Translation. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।